दस रुपये 10रु. Rs.10 TEN RUPEES — बीस रुपये 20रु. Rs.20 TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

लक्ष्मीप्रसाद पुत्र श्री शिवबालक शुक्ला
निवासी–ग्राम लुडयापुरवा (धुन्चु) तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– रघुनंदन पुत्र श्री मथुराप्रसाद शुक्ला
2– मथुराप्रसाद पुत्र श्री शिवबालक शुक्ला
3– हीराबाई पुत्री श्री शिवबालक शुक्ला पत्नी बृजबिहारी शुक्ला
निवासीगण – ग्राम लुडयापुरवा (धुन्चु) तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)
4– म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार मण्डल ललपुर तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/13–14 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ललपुर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में विधिवत् दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे और यह आवेदन पत्र वर्ष 2013 से तहसील न्यायालय में विचाराधीन है किन्तु प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय की कार्यवाही विधिवत् नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3054-एक/2016 जिला छतरपुर लक्ष्मीप्रसाद विरूद्ध रघुनंदन व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 4/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 25/01/19 (आर.के. जैन) सदस्य	